मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) जिला परिषद् अधिनियम, 1971

धाराओं का क्रम

———————

धाराएं

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2
जिला परिषदों का गठन

3. पहाड़ी क्षेत्रों का स्वायत्त जिलों में विभाजन ।

4. जिला परिषदों का गठन और उनकी सरंचना ।

5. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन ।
6. परिसीमन आदेशों को परिवर्तित या संशोधित करने की शक्ति ।
7. सदस्यता के लिए अर्हताएं ।
8. सदस्यता के लिए निरर्हताएं ।
9. निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाता ।
10. मताधिकार ।
11. सदस्यों का निर्वाचन ।
12. निर्वाचनों के परिणामों की अधिसूचना ।
13. सदस्यों की पदावधि ।
14. निर्वाचनों के बारे में विवाद ।
15. वह अनुतोष जिसका दावा अर्जीदार द्वारा किया जा सकेगा ।
16. वे आधार जिन पर कोई निर्वाचन पर आपत्ति की जा सकेगी ।
17. जिला न्यायाधीश द्वारा अअपनाई जाने वाली प्रक्रिया ।
18. जिला न्यायाधीश का विनिश्चय ।
19. मत बराबर होने की दशा में प्रक्रिया ।
20. विनिश्चयों की अंतिमता ।
21. सदस्यों का निर्वाचन विनियमित करने वाले नियम बनाने की शक्ति ।
22. जिला परिषदों का निगमन ।
23. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ।
24. सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ।
25. स्थानों का रिक्त होना ।
26. सदस्यों के भत्ते ।
27. सदस्यों का दायित्व ।
28. सदस्यों का लोक सेवक समझा जाना ।

अध्याय 3
जिला परिषदों के कृत्य

29. जिला परिषदों के कृत्य ।

अध्याय 4
जिला परिषदों की प्रक्रिया और उसके कर्मचारिवृन्द और प्रक्रिया

30. कारबार का संचालन ।
31. समितियां ।
32. अधिकारी और कर्मचारिवृन्द ।

अध्याय 5
जिला परिषदों के वित्त और सम्पत्ति का निहित होना

33. कराधान की शक्तियां ।
34. फीसों का उद्ग्रहण ।
35. कर अधिरोपित करने की प्रक्रिया ।
36. करों की समाप्ति या कम किया जाना ।
37. करों और फीसों की वसूली ।
38. करों और फीसों का निर्धारण और संग्रहण ।
39. अपीलें ।
40. करों और फीसों की किस्तें ।
41. कराधान से छूट देने की शक्ति ।
42. परिषद् द्वारा दावायोग्य धन की वसूली ।
43. परिषद् निधि ।
44. जिला परिषद् में विहित सम्पत्ति ।
45. बजट ।

अध्याय 6
नियंत्रण

46. नियंत्रण ।
47. जिला परिषद् का अधिक्रमण ।
48. उस अवधि के दौरान, जब पहाडी क्षेत्र समिति कार्य नहीं कर रही हो, कुछ उपबन्धों का प्रभाव ।

अध्याय 7
अपराध और शास्तियां

49. बाधा के लिए शास्ति ।
50. परिषद् के साथ कोई संविदा करने के लिए शास्ति ।

अध्याय 8
नियम और उपविधियां

51. प्रशासक की नियम बनाने को शक्ति ।
52. उपविधियां बनाने की शक्ति ।
53. नियमों और उपविधियों के भंग के लिए शस्ति ।

मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) जिला परिषद् अधिनियम, 1971

(1971 का अधिनियम सं॰76)

[26 दिसम्बर, 1971]

मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों में जिला परिषदों की स्थापना का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1.संक्षिप्त नाम और विस्तार— (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) जिला परिषद् अधिनियम, 1971 है

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र पर है ।

2. परिभाषाएं— इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(ख) "स्वायत्त जिला" से धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्वायत्त जिला अभिप्रेत है;

(ग) "भवन" के अन्तर्गत गृह, उपगृह, अस्तबल, शौचालय, मूत्रालय, शेड, झोपडी, दीवाल (सीमा दीवाल को छोडकर) और (पक्की चिनाई, ईटों, लकडी, मिट्टी या अन्य किसी भी पदार्थ की) अन्य कोई संरचना भी है किन्तु कोई उठाकर ले जाने काबिल या अस्थायी आश्रय स्थान इसके अन्तर्गत नहीं है;

(घ) "निर्वाचन-क्षेत्र" से जिला परिषद् के निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ धारा 5 के अधीन किए गए आदेश द्वारा उपबन्धित जिला परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ङ) किसी जिला परिषद् के सम्बन्ध में "उपायुक्त" से वह अधिकारी अभिप्रेत है जो उस स्वायत्त जिले में, जिसके लिए ऐसी जिला परिषद् गठित की गई हो, इस अधिनियम के अधीन उपायुक्त के कृत्यों का पालन करने के लिए प्रशासक द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त किया गया हो;

(च) "पहाड़ी क्षेत्र" से वह पहाड़ी क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे राष्ट्रपति ने संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व यथा प्रवृत्त किसी अधिसूचना द्वारा अवधारित किया है;

(छ) "पहाड़ी क्षेत्र समिति" से संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 52 में निर्दिष्ट स्थायी समिति अभिप्रेत है;

(ज) "बाजार" के अन्तर्गत कोई ऐसा स्थान है जहां पर व्यक्ति मांस, मछली, फल, सब्जी या मानवीय भोजन के लिए आशयित पशुओं के या किसी भी प्रकार के मानवीय भोजन की किसी अन्य वस्तु के विक्रय के लिए या विक्रय के लिए अभिदर्शित करने के प्रयोजनार्थ, ऐसे स्थान के स्वामी की सहमति से अथवा उसके बिना, इस बात के होते हुए भी एकत्र होते हैं कि वहां पर क्रेताओं और विक्रेताओं के जमाव के लिए कोई भी सामान्य विनियम नहीं हैं और चाहे ऐसे स्थान के स्वामी द्वारा या किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा बाजार के कारबार पर या व्यक्तिओं के बार-बार आने जाने पर कोई नियन्त्रण रखा जाता हो या नहीः

(झ) "सदस्य" से इस अधिनियम के अधीन गठित जिला परिषद् का सदस्य अभिप्रेत है;

(ञ) "राजपत्र" से मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र का राजपत्र अभिप्रेत है;

(ट) "व्यक्ति" के अन्तर्गत व्यक्तियों का निकाय नहीं है;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) "अनुसूचित जनजाति" का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) में उसे दिया गया है;

(ढ) "यान" के अन्तर्गत गाड़ी, बैलगाड़ी, ठेलागाड़ी, बाइसिकिल, ट्राइसिकिल और पहिए वाली प्रत्येक सवारी है जिसका प्रयोग गलियों में किया जाता है या जो वहां प्रयोग किए जाने योग्य है, किन्तु इसके अन्तर्गत यंत्रचालित यान नही है ।

अध्याय 2
जिला परिषदों का गठन

3. पहाड़ी क्षेत्रों का स्वायत्त जिलों में विभाजन— (1) प्रशासक, इस अधिनियम के प्रारम्भ के यथाशक्य शीघ्र पश्चात्, सब पहाडी क्षेत्रों को छह से अनधिक स्वायत्त जिलों में विभाजित करेगा ।

(2) प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, —

(क) यह घोषित कर सकेगा कि किसी स्वायत्त जिले का कोई क्षेत्र, जो किसी नगर पालिका, छावनी या नगर समिति की सीमाओं में सम्मलित है या जिसका उसमें होना आशयित है, ऐसे स्वायत्त जिले का भाग नहीं रहेगा;

(ख) किसी स्वायत्त जिले के क्षेत्र में वृद्धि कर सकेगा;

(ग) किसी स्वायत्त जिले का क्षेत्र कम कर सकेगा;

(घ) दो या अधिक स्वायत्त जिलों को या उनके भागों को एक स्वायत्त जिला बनाने के लिए मिला सकेगा;

(ङ) किसी स्वायत्त जिले की सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगा;

(च) किसी स्वायत्त जिले का नाम परिवर्तित कर सकेगा ।

(3) प्रशासक द्वारा उपधारा (2) के अधीन कोई भी आदेश पहाड़ी क्षेत्र समिति से परामर्श किए बिना नहीं किया जाएगा ।

(4) प्रशासक द्वारा उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश में ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध हो सकेंगे जैसे कि प्रशासक को आदेश के उपबन्धों को प्रभावशील करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों ।

4. जिला परिषदों का गठन और उनकी सरंचना— (1) प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद् ऐसी तारीख से होगी जो प्रशासक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे ।

(2) जिला परिषद् में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या अठारह से अधिक नहीं होगी ।

(3) प्रशासक दो से अनधिक व्यक्तियों को, जो सरकारी सेवा में न हों, किसी जिला परिषद् के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

5. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन— प्रशासक, आदेश द्वारा,—

(क) उन निर्वाचन-क्षेत्रों का (जो कि एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र होंगे) अवधारण कर सकेगा जिनमें किसी स्वायत्त जिले को उस जिले की जिला परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ, विभाजित किया जाएगा; और

(ख) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की सीमा अवधारित कर सकेगा ।

6. परिसीमन आदेशों को परिवर्तित या संशोधित करने की शक्ति— प्रशासक धारा 5 के अधीन किए गए किसी भी आदेश को, समय-समय पर, आदेश द्वारा, परिवर्तित या संशोधित कर सकेगा ।

7. सदस्यता के लिए अर्हताएं— कोई व्यक्ति किसी स्वायत्त जिले की जिला परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिए तब तक अर्ह न होगा जब तक वह उस स्वायत्त जिले में किसी जिला परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो ।

8. सदस्यता के लिए निरर्हताएं— (1) यदि कोई व्यक्ति संसद् के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए तत्समय निरर्हित है या किसी जिला परिषद् के अधीन कोई लाभ का पद धारण किए हुए है तो वह किसी जिला परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निरर्हित होगा ।

(2) इस धारा के प्रयोजनार्थ, किसी व्यक्ति के बारे में, केवल इस कारण कि वह किसी जिला परिषद् का सदस्य है, यह नहीं समझा जाएगा कि वह उस जिला परिषद् के अधीन कोई लाभ का पद धारण किए हुए है ।

9. निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाता— (1) जिला परिषद् के सदस्यों के निर्वाचनों में मत देने के लिए वे ही व्यक्ति हकदार होंगे जो, संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) के उपबन्धों के आधार पर, लोक सभा के निर्वाचनों में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार है ।

(2) किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली का उतना भाग जितना धारा 5 के अधीन बनाए गए किसी निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट क्षेत्र से संबंधित है, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली समझा जाएगा ।

10. मताधिकार— (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम, तत्समय, किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में दर्ज है, उस निर्वाचन-क्षेत्र से जिला परिषद् के सदस्य के निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति किसी निर्वाचन में किसी एक अभ्यर्थी को एक ही मत देगा उससे अधिक नहीं ।

11. सदस्यों का निर्वाचन— जिला परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन धारा 21 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उस तारीख या उन तारीखों को किया जाएगा जो प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेशित करेः

परन्तु कोई आकस्मिक रिक्ति होने के पश्चात्, वह यथाशक्यशीघ्र, भरी जाएगीः

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन साधारण निर्वाचन होने के पूर्व चार मास के भीतर होने वाली किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए कोई निर्वाचन नहीं किया जाएगा ।

12. निर्वाचनों के परिणामों की अधिसूचना— जिला परिषद् के सदस्यों के रूप में निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सब व्यक्तियों के नाम प्रसासक द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे ।

13. सदस्यों की पदावधि— (1) इस धारा में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, सदस्य की पदावधि पांच वर्ष होगी और यह अवधि धारा 12 के अधीन उसके निर्वाचन या नामनिर्देशन की अधिसूचना की तारीख से या उस तारीख से, जिसको वह रिक्ति हुई हो जिसके लिए वह निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट हुआ हो, इनमें से जो भी बाद की तारीख हो, उससे प्रारम्भ होगीः

परन्तु जब प्रशासक, यह समाधान हो जाए कि प्रशासनिक कठिनाई से बचने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तब वह सब सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, बढा सकेगा ।

(2) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित सदस्य की पदावधि उसके निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से प्रारम्भ होगी और केवल उसी समय तक चलेगी जब तक कि वह सदस्य, जिसके स्थान पर वह निर्वाचित हुआ है, रिक्ति न होने की दशा में पद धारण किए रहने का हकदार होता ।

14. निर्वाचनों के बारे में विवाद— (1) किसी सदस्य के निर्वाचन पर कोई आपत्ति, उस क्षेत्र की, जिसमें संबद्ध निर्वाचन-क्षेत्र स्थित है, अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश के न्यायालय में निर्वाचन-अर्जी, धारा 12 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की अधिसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर, पेश करके की जाएगी अन्यथा नहीं ।

(2) वह निर्वाचन-अर्जी, जिसमें ऐसे किसी निर्वाचन पर आपत्ति की गई है, ऐसे निर्वाचन के किसी अभ्यर्थी द्वारा या निर्वाचन-क्षेत्र के किसी निर्वाचक द्वारा धारा 16 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक आधारों पर पेश की जा सकेगी ।

(3) अर्जीदार अपनी अर्जी में निर्वाचन के सब अभ्यर्थियों को प्रत्यर्थियों के रूप में संयोजित करेगा ।

(4) निर्वाचन-अर्जी में—

(क) उन तात्विक तथ्यों का, जिन पर अर्जीदार निर्भर करता है, एक संक्षिप्त कथन होगा;

(ख) वह आधार या वे आधार, जिन पर निर्वाचन पर आपत्ति की गई है, पर्याप्त विशिष्टियों सहित उपवर्णित होंगे; और

(ग) अर्जीदार का हस्ताक्षर होगा और वह, अभिवचनों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित रीति से, सत्यापित होगी ।

15. वह अनुतोष जिसका दावा अर्जीदार द्वारा किया जा सकेगा— अर्जीदार, इस घोषणा के लिए दावा करने के अतिरिक्त कि निर्वाचित सब अभ्यर्थियों या उनमें से किसी अभ्यर्थी का निर्वाचन शून्य है, इस अतिरिक्त घोषणा के लिए भी दावा कर सकेगा कि वह स्वयं या कोई अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूपेण निर्वाचित हुआ है ।

16. वे आधार जिन पर कोई निर्वाचन पर आपत्ति की जा सकेगी— किसी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन पर आपत्ति निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधारों पर की जा सकेगी, अर्थातः—

(क) यह कि निर्वाचित अभ्यर्थी अपने निर्वाचन की तारीख को इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अर्हित नहीं था या वह निरर्हित था; अथवा

(ख) यह कि निर्वाचन के किसी अभ्यर्थी का नामनिर्देशन-पत्र अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है; अथवा

(ग) यह कि किसी नामनिर्देशन-पत्र के अनुचित प्रतिग्रहण से या किसी मत के अनुचित प्रतिग्रहण या इन्कार से या अन्य किसी कारण से निर्वाचन के परिणाम पर तात्विक प्रभाव पड़ा है ।

17. जिला न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया— जिला न्यायाधीश का न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी निर्वाचन-अर्जी के विचारण और उसके निपटाने में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में वादों के बारे में उपबंधित प्रक्रिया, का अनुसरण वहां तक जहां तक वह लागू की जा सके, करेगा ।

18. जिला न्यायाधीश का विनिश्चय— (1) जिला न्यायाधीश का न्यायालय किसी निर्वाचन-अर्जी के विचारण की समाप्ति पर,—

(क) निर्वाचन-अर्जी खारिज करने का; या

(ख) निर्वाचित सभी अभ्यर्थियों या उनमें से किसी अभ्यर्थी का निर्वाचन शून्य घोषित करने का; या

(ग) निर्वाचित सभी अभ्यर्थियों या उनमें से किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन को शून्य और अर्जीदार या अन्य किसी अभ्यर्थी को सम्यक्रूपेण निर्वाचित घोषित करने का; आदेश करेगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिसने कोई निर्वाचन-अर्जी फाइल की है, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन पर आपत्ति करने के अतिरिक्त इस घोषणा का भी दावा करता है कि वह स्वयं या कोई अन्य अभ्यर्थी समयक्रूपेण निर्वाचित हुआ है और जिला न्यायाधीश के न्यायालय की यह राय है कि—

(क) अर्जीदार या ऐसे अन्य अभ्यर्थी को विधिमान्य मतों का बहुमत वस्तुतः प्राप्त हुआ है; अथवा

(ख) यदि निर्वाचित अभ्यर्थी को वे मत अभिप्राप्त न होते तो अर्जीदार को या ऐसे अन्य अभ्यर्थी को विधिमान्य मतों का बहुमत अभिप्राप्त हुआ होता, तो जिला न्यायाधीश का न्यायालय, निर्वाचित अभ्यर्थी का निर्वाचन शून्य घोषित करने के पश्चात् यह घोषणा करेगा कि, यथास्थिति, अर्जीदार या ऐसा अन्य अभ्यर्थी सम्यक्रूपेण निर्वाचित हुआ है ।

19. मत बराबर होने की दशा में प्रक्रिया— यदि किसी निर्वाचन अर्जी के विचारण के दौरान यह प्रतीत होता है कि निर्वाचन में किन्हीं अभ्यर्थियों के मत बराबर-बराबर हैं और एक मत बढ जाने मात्र से उन अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित किए जाने का हकदार हो जाएगा तो जिला न्यायाधीश का न्यायालय लाट निकाल कर उसका विनिश्चय करेगा और आगे इस आधार पर कार्यवाही करेगा मानो जिस व्यक्ति के नाम लाट निकला उसने एक अतिरिक्त मत प्राप्त किया था ।

20. विनिश्चयों की अंतिमता— (1) निर्वाचन-अर्जी पर जिला न्यायाधीश के न्यायालय का आदेश अंतिम और निश्चायक होगा ।

(2) किसी सदस्य का निर्वाचन, जिस पर पूर्वगामी उपबन्धों के अनुसार आपत्ति नहीं की गई हो, ठीक और विधिमान्य समझा जाएगा ।

21. सदस्यों का निर्वाचन विनियमित करने वाले नियम बनाने की शक्ति— प्रशासक इस अधिनियम के अधीन सदस्यों का निर्वाचन कराने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित सब या किसी विषय को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगा, अर्थातः—

(क) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक-नामावलियों को भागों में विभाजित की रीति जिससे कि इस प्रकार विभाजित एक या अधिक भाग को किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक-नामावली बनाया जा सके; और वह अधिकारी या प्राधिकारी जिसके द्वारा ऐसा विभाजन कार्यान्वित किया जाएगा;

(ख) निर्वाचन कार्यक्रम बनाना;

(ग) निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों की नियुक्ति;

(घ) अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन और ऐसे नामनिर्देशन की संवीक्षा;

(ङ) अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले निक्षेप और ऐसे निक्षेप करने का समय और रीति;

(च) अभ्यर्थिता का वापस लिया जाना;

(छ) अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं की नियुक्ति;

(ज) निर्वाचन कराने का समय और रीति;

(झ) निर्वाचनों की साधारण प्रक्रिया जिसमें समय, स्थान और मतदान के घंटे तथा वह ढंग जिसके द्वारा मतदान किया जाएगा भी सम्मिलित है;

(ञ) निर्वाचन-अर्जी के लिए संदत्त की जाने वाली फीस;

(ट) निर्वाचनों या निर्वाचन विवादों से संबंधित कोई अन्य विषय जिसके बारे में प्रशासक इस धारा के अधीन नियम बनाना आवश्यक समझता है या जिसके बारे में इस अधिनियम में कोई उपबंध नहीं किया गया है अथवा अपर्याप्त उपबंध किया है और, प्रशासक की राय में, उपबंध करना आवश्यक है ।

22. जिला परिषदों का निगमन— प्रत्येक जिला परिषद् क्रमशः "———————— (स्वायत्त जिले का नाम) की जिला परिषद्" नाम से निगमित निकाय होगी और उसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और उसे सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वह वाद लाएगी और उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा ।

23. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष— (1) जिला परिषद् यथाशक्य शीघ्र, दो सदस्यों को अपना, क्रमशः, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और, जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब-तब परिषद् किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगीः

परन्तु प्रशासन प्रथम अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट कर सकेगा जो एक वर्ष से अनधिक की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा ।

(2) यदि किसी निर्वाचित अध्यक्ष को हटाने के लिए कोई संकल्प, उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार बुलाए गए अधिवेशन में, परिषद् की कुल सदस्य-संख्या के दो-तिहाई से अन्यून द्वारा पारित किया जाता है, तो ऐसे संकल्प के परिणाम-स्वरूप उस तारीख से, जिनको संकल्प इस प्रकार पारित किया जाए, अध्यक्ष को उसके पद से हटा दिया जाएगा और यदि ऐसा संकल्प परिषद् की कुल सदस्य-संख्या के दो-तिहाई से कम किन्तु आधे से अन्यून द्वारा पारित किया जाता है तो प्रशासक, लिखित आदेश द्वारा, उन कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे, अध्यक्ष को उसके पद से ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, हटा सकेगाः

परन्तु कोई भी ऐसा संकल्प अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष के भीतर नहीं लाया जाएगाः

परन्तु यह और कि यदि संकल्प परिषद् की कुल सदस्य-संख्या के दो-तिहाई से अन्यून द्वारा पारित नहीं किया गया है, तो जिस तारीख को जिसको ऐसे संकल्प पर विचार किया गया है, उससे एक वर्ष के भीतर, किसी अन्य ऐसे संकल्प पर, जो अध्यक्ष को हटाने के लिए हो, विचार करने की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट संकल्प को लाने के आशय की लिखित सूचना, परिषद् की कुल सदस्य-संख्या के एक तिहाई से अन्यून द्वारा हस्ताक्षरित होगी, और वह प्रस्थापित संकल्प की एक प्रति सहित, उपायुक्त द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार, उपायुक्त को परिदत्त की जाएगी और उपायुक्त, उसकी कम से कम पंद्रह दिन से अन्यून की सूचना देने के पश्चात्, परिषद् का अधिवेशन संकल्प पर विचार करने के लिए बुला सकेगा । यह अधिवेशन परिषद् के कार्यालय में ऐसी तारीख को होगा जो उस तारीख से, जिसकी कि उपायुक्त को सूचना परिदत्त की गई हो, तीस दिन के बाद की न हो और उपायुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

(4) परिषद् का अध्यक्ष पूर्णकालिक कृत्यकारी होगा और ऐसे वेतन या भत्तों का हकदार होगा जो प्रशासक द्वारा नियत किए जाएं ।

24. सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान— प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करने के पूर्व परिषद् के अधिवेशन में, विहित प्ररूप में, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

25. स्थानों का रिक्त होना— (1) कोई भी व्यक्ति मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा तथा जिला परिषद् दोनों का सदस्य न होगा और यदि कोई व्यक्ति विधान सभा तथा जिला परिषद् दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो, राजपत्र में इस बात के, कि वह इस प्रकार चुन लिया गया है, प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन का अवसान हो जाने पर उस व्यक्ति का जिला परिषद् का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि वह उसके पूर्व ही विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र न दे चुका हो ।

(2) यदि कोई सदस्य—

(क) धारा 8 में वर्णित किसी भी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, या

(ख) अध्यक्ष को संबोधित किए गए स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा अपने स्थान से त्यागपत्र दे देता है,

तो तब उसका स्थान रिक्त हो जाएगा ।

(3) यदि कोई सदस्य, जिला परिषद् की अनुज्ञा के बिना, छह क्रमवर्ती मासों के दौरान, उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो परिषद् उसका स्थान रिक्त घोषित कर सकेगी ।

(4) यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई सदस्य धारा 8 में वर्णित निरर्हताओं में से किसी से ग्रस्त है तो, वह प्रश्न उस क्षेत्र पर, जिसमें संबद्ध निर्वाचन-क्षेत्र स्थित है, अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश को निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

26. सदस्यों के भत्ते— धारा 23 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक सदस्य ऐसे भत्ते पाने का हकदार होगा जो प्रशासक द्वारा अवधारित किए जाएं ।

27. सदस्यों का दायित्व— प्रत्येक सदस्य जिला परिषद् के किसी धन अथवा अन्य सम्पत्ति की हानि, दुव्यर्य या दुर्विनियोग के लिए दायी होगा यदि ऐसी हानि, दुव्यर्य या दुर्विनियोग जिला परिषद् का सदस्य रहते हुए उसकी उपेक्षा या अवचार का सीधा परिणाम है, और उसके विरूद्ध प्रतिकर के लिए वाद उपायुक्त की पूर्व मंजूरी से परिषद् द्वारा या प्रशासक की पूर्व मंजूरी से उपायुक्त द्वारा संस्थित किया जा सकेगा ।

28. सदस्यों का लोक सेवक समझा जाना— प्रत्येक सदस्य भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा ।

अध्याय 3

जिला परिषदों के कृत्य

29. जिला परिषदों के कृत्य— (1) प्रशासक द्वारा किए गए अपवादों और अधिरोपित शर्तों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित विषय जिला परिषद् के नियंत्रण और प्रशासन के अधीन होंगे, अर्थातः—

(i) ऐसी जंगम तथा स्थावर सम्पत्ति और संस्थाओं का अनुरक्षण और प्रबन्ध जो प्रशासक द्वारा उस परिषद् को अन्तरित की जाएं;

(ii) ऐसी सडकों, पुलों, जल सरणियों और भवनों का सन्निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण जो प्रशासक द्वारा उस परिषद् को अन्तरित किए जाएं;

(iii) प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना, अनुरक्षण और प्रबन्ध तथा इन संस्थाओं से सम्बन्धित सब भवनों का सन्निर्माण और मरम्मत तथा छात्रवृत्तियां संस्थित करना;

(iv) औषधालयों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रबन्ध;

(v) कांजीहाउस की स्थापना और अनुरक्षण, जिसके अन्तर्गत पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का 1) के अधीन के ऐसे कृत्य भी है जो प्रशासक द्वारा उस परिषद् को अन्तरित किए जाएं;

(vi) बाजारों और मेलों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रबन्ध तथा उनसे संबंधित सब भवनों का सन्निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण;

(vii) पीने, खाना पकाने और स्नान के प्रयोजनार्थ जल का प्रदाय, भण्डारकरण और उसका प्रदूषण का निवारण;

(viii) बांधों का सन्निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण, तथा कृषि-प्रयोजनों के लिए जल का प्रदाय, भण्डारकरण और नियंत्रण;

(ix) भूमि का परिरक्षण और उसे काम में लाने योग्य बनाना;

(x) पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण और सुधार और पशुरोगों का निवारण;

(xi) लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता;

(xii) ऐसे नौघाटों का प्रबन्ध जो प्रशासक द्वारा उस परिषद् की देखरेख में रखे जाएं;

(xiii) राहत कार्यों का शुरू करना, निरीक्षण और नियंत्रण;

(xiv) कृषि या चरागाह के प्रयोजनार्थ अथवा आवासीय या अन्य कृषि-भिन्न प्रयोजनों के लिए अथवा अन्य किन्हीं ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिनसे, उस स्वायत्त जिले, जिसके लिए उस परिषद् का गठन किया गया है, के भीतर स्थित किसी ग्राम या नगर के निवासियों के हितों में अभिवृद्धि सम्भावित है, ऐसी भूमि का जो किसी लोक प्रयोजन के लिए अर्जित नहीं की गई हो या ऐसी भूमि जो आरक्षित वन न हो, आवंटन, अधिभोग या उपयोग अथवा पृथक् रखा जाना;

(xv) किसी ऐसे वन का, जो आरक्षित वन न हो, प्रबन्ध;

(xvi) झूम पद्धति या परिवर्ती खेती की किसी अन्य पद्धति का विनियमन; तथा

(xvii) कृषि, पशुपालन, सामुदायिक विकास समाज तथा जनजाति कल्याण, ग्राम योजना के क्षेत्र का अन्य कोई विषय, अथवा संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 52 में निर्दिष्ट अन्य कोई विषय, जिसे प्रशासक, पहाड़ी क्षेत्र समिति के परामर्श से जिला परिषद् को सौंपे ।

(2) जिला परिषद् इस बात के लिए सक्षम होगी कि वह, निम्नलिखित विषयों के संबंध में विधायन के लिए, वहां तक जहां तक कि वे अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से संबंधित हों, मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र शासन से सिफारिश करे, अर्थातः—

(क) प्रधानों की नियुक्ति या उत्तराधिकार;

(ख) सम्पत्ति की विरासत;

(ग) विवाह और विवाह-विच्छेद; और

(घ) सामाजिक रूढियां ।

अध्याय 4

जिला परिषदों की प्रक्रिया और उसके कर्मचारिवृन्द और प्रक्रिया

30. कारबार का संचालन— जिला परिषद् अपने कामकाज का संचालन ऐसी रीति से और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगी जो विहित की जाए ।

31. समितियां— जिला परिषद्, अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए समय-समय पर अपने निकाय में से ऐसी और उतनी समितियां नियुक्त कर सकेगी, जितनी आवश्यक हों ।

32. अधिकारी और कर्मचारिवृन्द— (1) प्रत्येक जिला परिषद् के लिए एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जो प्रशासक द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(2) यदि मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हटाने का संकल्प जिला परिषद् के अधिवेशन में, परिषद् की कुल सदस्य-संख्या के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हो जाता है तो प्रशासक उसे तुरन्त हटा देगा ।

(3) जिला परिषद् ऐसे अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द को, जो उसके कर्तव्यों के उचित और दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक हो, नियुक्त करेगी और उनकी सेवा की शर्तों के लिए विनियम बनाएगी ।

(4) अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द (चाहे अस्थायी हों या स्थायी) को नियुक्त करने की शक्ति का प्रयोग, उन नियमों के अनुसार किया जाएगा जो प्रशासक द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए गए हों ।

(5) जिला परिषद् के अधीन किसी पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति के ठीक पूर्व उसको लागू सेवा की शर्तों में उसके लिए अहितकर रूप में परिवर्तन प्रशासक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा ।

(6) जिला परिषद् का प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा ।

अध्याय 5

जिला परिषदों के वित्त और सम्पत्ति का निहित होना

33. कराधान की शक्तियां—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जिला परिषद् को, ऐसे स्वायत्त जिले के भीतर जिसके लिए परिषद् गठित की गई है, निम्नलिखित करों में से किसी या सभी को उद्गृहीत करने की शक्ति होगी, अर्थातः—

(क) वृत्तियों, व्यवसायों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर;

(ख) पशुओं, (यंत्रचालित यानों से भिन्न) यानों और नावों पर कर;

(ग) बाजार में विक्रय के लिए माल लाने पर कर और नौघाट में लाए गए यात्रियों और माल पर पथकर;

(घ) स्कूलों, औषधालयों या सङकों के अनुरक्षण के लिए कर; तथा

(ङ) संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 के अन्तर्गत आने वाला कोई अन्य कर जिसके उद्-ग्रहण के लिए मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र का विधान मंडल जिला परिषद् को, विधि द्वारा, सशक्त करे ।

34. फीसों का उद्ग्रहण — जिला परिषद्—

(क) स्कूल फीसें; और

(ख) धारा 29 के अधीन किए गए किन्हीं संकर्मों या की गई सेवाओं के उपयोग के लिए अथवा उनसे व्युत्पन्न प्रसविधाओं के लिए फीसें; नियत और उद्गृहीत कर सकेगी ।

35. कर अधिरोपित करने की प्रक्रिया— (1) जिला परिषद् धारा 33 में उल्लिखित करों में से किसी के अधिरोपण की प्रस्थापना का संकल्प, इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से बुलाए गए अधिवेशन में, कर सकेगी ।

(2) जब ऐसा संकल्प पारित हो जाए, तब परिषद् एक सूचना, राजपत्र में और वह भी विहित रीति से, प्रकाशित करेगी जिसमें उस व्यक्ति वर्ग का या उस सम्पत्ति का विवरण, जिस पर कर लगाया जाना प्रस्थापित है, अधिरोपित किए जाने वाले कर की रकम या दर और कर निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति भी वर्णित होगी ।

(3) प्रस्थापित कर से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रभावित और उस पर आक्षेप करने वाला कोई व्यक्ति, सूचना के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर, अपने आक्षेप लिखित रूप में परिषद् को भेजेगा और परिषद्, विशेष रूप से बुलाए गए अधिवेशन में, ऐसे सब आक्षेपों पर विचार करेगी ।

(4) यदि उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर कोई आक्षेप नहीं भेजा गया है या प्राप्त आक्षेप अपर्याप्त समझे जाते है तो परिषद् प्रशासक को अपने प्रस्ताव आक्षेपों सहित, यदि कोई हों, और उन पर अपना विनिश्चय प्रस्तुत कर सकेगी ।

(5) तब प्रशासक प्रस्तावों को मंजूर कर सकेगा या उन्हों मंजूर करने से इन्कार कर सकेगा या उन्हें और आगे विचार के लिए परिषद् को वापिस कर सकेगा ।

(6) जब कर के बारे में कोई प्रस्ताव मंजूर कर लिया जाए, तब प्रशासक उसके अधिरोपण को राजपत्र में अधिसूचित करेगा और अधिसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर की कोई तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जब से कर प्रवृत्त होगा ।

36. करों की समाप्ति या कम किया जाना— प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और जिला परिषद्, प्रशासक के पूर्व अनुमोदन से, उस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से बुलाए गए अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा, धारा 33 के अधीन अधिरोपित किसी कर को समाप्त या कम कर सकेगी ।

37. करों और फीसों की वसूली— इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत करों और फीसों के सब बकाया लोक शोध्यों की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन उसी प्रकार वसूल किए जा सकेंगे मानों वे लोक शोध्य हों।

38. करों और फीसों का निर्धारण और संग्रहण— जिला परिषद्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस व्यक्ति का अवधारण करेगी जिसके द्वारा किसी कर या फीस का निर्धारण और संग्रहण किया जाएगा और वह ऐसे कर और फीस के निर्धारण ओर संग्रहण के लिए नियम बना सकेगी और यह निदेश दे सकेगी कि निर्धारण और संग्रहण के लिए नियोजित व्यक्तियों को किस रीति से पारिश्रमिक दिया जाएगा ।

39. अपीलें— (1) इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत किसी कर या फीस के निर्धारण और संग्रहण से संबंधित विषयों में, निर्धारण और संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे व्यक्ति को की जा सकेगी जिसे प्रशासक उस प्रयोजनार्थ नियुक्त या अभिहित करे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर की जाएगी ।

(3) अपील पर किया गया आदेश अन्तिम होगा ।

40. करों और फीसों की किस्तें— जिला परिषद्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और उपायुक्त के पूर्व अनुमोदन से, यह विहित कर सकेगी कि कोई कर या फीस कितनी किस्तों में और किस समय देय होगी ।

41. कराधान से छूट देने की शक्ति— जिला परिषद्, प्रशासन के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी कर या फीस का परिहार कर सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी अथवा किन्हीं व्यक्तियों या किसी व्यक्ति वर्ग को या किसी प्रकार की सम्पत्ति को किसी कर या फीस के दायित्व से, पूर्णतः या भागतः छूट दे सकेगी तथा ऐसे किसी परिहार, कमी या छूट को रद्द कर सकेगी ।

42. परिषद् द्वारा दावायोग्य धन की वसूली— (1) धारा 37 द्वारा जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, जिला परिषद् द्वारा दावायोग्य सब धन, उस क्षेत्र में, जहां वह व्यक्ति जिससे धन दावायोग्य है तत्समय निवासी हो, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को आवेदन करके, उस व्यक्ति की, उस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की सीमाओं में आने वाली, किसी भी जंगम सम्पत्ति के करस्थम् और विक्रय द्वारा अथवा किसी स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा, वसूल किया जा सकेगा और ऐसी कार्यवाहियों के खर्चे की वसूली भी उसी रीति से की जाएगी जैसे कि उक्त धन की ।

(2) धन की वसूली के लिए आवेदन लिखित होगा और परिषद् के अध्यक्ष के आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा ।

43. परिषद् निधि— (1) इस अधिनियम के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन, जिला परिषद् द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सब धन एक निधि में जमा किया जाएगा जो "परिषद्-निधि" कहलाएगी और वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, जिला परिषद् द्वारा न्यास के रूप में रखी जाएगी ।

(2) परिषद् के सब व्यय परिषद्-निधि में से चुकाए जाएंगे ।

(3) प्रशासक, परिषद्-निधि के प्रबंध के लिए, और उक्त निधि में धन के संदाय, उससे धन के निकालने, उसमें धन की अभिरक्षा की बाबत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और उपरोक्त विषयों के अनुषंगी या उनसे संबंधित किसी अन्य विषय के लिए, नियम बना सकेगा ।

(4) जिला परिषद् के लेखे ऐसे प्ररूप में रखे जाएंगे जो विहित किया जाए ।

(5) जिला परिषद् के लेखों की संपरीक्षा ऐसी रीति से की जाएगी जो विहित की जाए ।

44. जिला परिषद् में विहित सम्पत्ति— प्रशासक के किसी आदेश के अधीन रहते हुए, नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार की ओर स्वायत्त जिले में स्थित सब सम्पत्ति, उस जिले के लिए गठित की गई जिला परिषद् में निहित होगी और उसकी होगी तथा ऐसी सब अन्य सम्पत्ति सहित, जो परिषद् में निहित हो सकेगी, जिला परिषद् के निदेश, प्रबंध और नियंत्रण के अधीन होगी तथा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ रखी और उपयोग की जाएगी—

(क) परिषद् निधि से सन्निर्मित या अनुरक्षित सब लोक भवन;

(ख) परिषद् निधि से सन्निर्मित या अनुरक्षित सब सार्वजनिक सड़कें और उनके पत्थर तथा अन्य सामग्री तथा ऐसे सब पेड़, परिनिर्माण, सामग्री, उपकरण और वस्तुएं जो उन सड़कों के लिए हों;

(ग) जिला परिषद् को प्रशासक द्वारा या दान, विक्रय द्वारा या अन्यथा लोक प्रयोजनार्थ अन्तरित सब भूमि या अन्य सम्पत्ति ।

45. बजट— (1) जिला परिषद् प्रत्येक वर्ष, विहित दिन को या उसके पूर्व, प्रशासक को परिषद् की आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय का प्राक्कलन ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो विहित किया जाए ।

(2) प्रशासक, विहित दिन को या उसके पूर्व, प्राक्कलन को, उपान्तरों सहित या उनके बिना, परिषद् को लौटा सकेगा ।

(3) जब बजट उपधारा (2) के अधीन उपान्तरों सहित लौटा दिया जाए तब परिषद् प्रस्थापित उपान्तरों पर विचार करेगी, उनका विनिश्चय करेगी और उसकी रिपोर्ट प्रशासक को देगी ।

(4) परिषद् द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार किया गया बजट प्राक्कलन जिला परिषद् का बजट होगा ।

(5) बजट में कोई पश्चात्वर्ती परिवर्तन या प्राक्कलन में पुनर्विनियोग या किसी व्यवस्था का अन्तरण प्रशासक के अनुमोदन से किया जाएगा ।

अध्याय 6

नियंत्रण

46. नियंत्रण— (1) जिला परिषद् के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह परिषद् के अधिवेशनों की कार्यवाहियों की एक-एक प्रति और ऐसी अन्य जानकारी जिसकी उपायुक्त अपेक्षा करे, उसे दे ।

(2) उपायुक्त को यह शक्ति होगी कि वह परिषद् में पूर्णतः या भागतः निहित विद्यालयों तथा परिषद् निधि में से संदेय अनुदानों से पूर्णतः या भागतः पोषित विद्यालयों में, किसी जिला परिषद् को विषयों, पाठ्यक्रमों पाठ्य पुस्तकों और शिक्षा के मानकों की बाबत ऐसे सभी निदेश दे जो वह आवश्यक समझे और परिषद् ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी ।

(3) उपायुक्त, आदेश द्वारा, और ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, किसी जिला परिषद् के किसी संकल्प या आदेश का निष्पादन निलम्बित कर सकेगा या किसी कार्य का किया जाना, जो जिला परिषद् के गठन या कृत्यों से संबंधित विधि के किसी उपबंध के अनुसरण में या उसका आश्रय लेकर किए जाने वाला है या किया जा रहा है, प्रतिषिद्ध कर सकेगा, यदि उसकी राय में वह संकल्प, आदेश या कार्य विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधिक्य में है अथवा उस संकल्प या आदेश के निष्पादन से अथवा उस कार्य के करने से शांति भंग होने या उससे जनता को या व्यक्तियों के किसी वर्ग या समूह को क्षोभ उत्पन्न होने या क्षति पहुंचने की संभाव्यता है:

परन्तु परिषद् उपायुक्त के आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर ऐसा स्पष्टीकरण दे सकेगी जो वह निलम्बित आदेश या संकल्प के या प्रतिषिद्ध कार्य के संबंध में देना उचित समझे ।

(4) जब उपायुक्त उपरोक्त प्रकार का कोई आदेश करे तो वह तुरन्त उसकी एक प्रति प्रशासक को, ऐसा आदेश करने के कारणों के कथन के साथ, भेजेगा और परिषद् द्वारा दिए गए स्पष्टीकण को, यदि कोई है, प्रशासक को सम्यक् समय के भीतर भेजेगा और तब प्रशासक उपायुक्त के आदेश को पुष्ट, उपान्तरित या विखण्डित कर सकेगा ।

47. जिला परिषद् का अधिक्रमण— (1) यदि उपायुक्त से रिपोर्ट की प्राप्ति पर या अन्यथा, प्रशासक की यह राय है कि—

(क) कोई जिला परिषद् इस अधिनियम के या किसी अन्य विधि के अधीन या द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने मे सक्षम नहीं है, या उसके पालन में बार-बार व्यतिक्रम करती है; अथवा

(ख) कोई जिला परिषद् अपनी शक्तियों का अतिलंघन या दुरूपयोग करती है; अथवा

(ग) किसी जिला परिषद् की वित्तीय स्थिति और साख-स्थिति को गम्भीर संकट है; अथवा

(घ) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें किसी जिला परिषद् का प्रशासन इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो प्रशासक, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, जिसके साथ ऐसा आदेश करने के कारणों का कथन भी होगा, ऐसी परिषद् को एक वर्ष से अनधिक उतनी अवधि के लिए, जितनी कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अधिक्रान्त कर सकेगा:

परन्तु खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन उपरोक्त रूप में अधिक्रमण का आदेश करने के पूर्व, ऐसी परिषद् को यह कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा कि ऐसा अधिक्रमण आदेश क्यों न किया जाए:

परन्तु यह और कि अधिक्रमण की अवधि, पहाडी क्षेत्र समिति के परामर्श से, एक बार में छह मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि या अवधियों के लिए बढाई जा सकेगी ।

(2) जब कोई जिला परिषद् उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश द्वारा अधिक्रान्त की जाए तब,—

(क) परिषद् के सब सदस्य (जिनके अन्तर्गत उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी हैं), ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, खण्ड (घ) के अधीन निर्वाचन या नामनिर्देशन की अपनी पात्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे सदस्यों के रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे;

(ख) इस अधिनियम या किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन परिषद् को प्रदत्त और उस पर अधिरोपित सभी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन परिषद् की अधिक्रमण अवधि के दौरान ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जो प्रशासक द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए;

(ग) परिषद् में निहित सब सम्पत्ति केन्द्रीय सरकार में तब तक निहित रहेगी जब तक परिषद् का पुनर्गठन नहीं हो जाता;

(घ) अधिक्रमण अवधि के अवसान के पूर्व, परिषद् के सदस्यों का, यथास्थिति, निर्वाचन अथवा नामनिर्देशन, परिषद् के पुनर्गठन के प्रयोजनार्थ किया जाएगा ।

48. उस अवधि के दौरान, जब पहाडी क्षेत्र समिति कार्य नहीं कर रही हो, कुछ उपबन्धों का प्रभाव— मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के विघटन के परिणामस्वरूप जब किसी समय पहाडी क्षेत्र समिति कार्य न कर रही हो तब उस अवधि के दौरान—

(i) धारा 3 ऐसे प्रभावी होगी मानो उसकी उपधारा (3) का लोप कर दिया गया था;

(ii) धारा 29 का खण्ड (xvii) और धारा 47 की उपधारा (1) का द्वितीय परन्तुक ऐसे प्रभावी होगा मानो कि "पहाड़ी क्षेत्र समिति के परामर्श से" शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया था ।

अध्याय 7

अपराध और शास्तियां

49. बाधा के लिए शास्ति— यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर जिला परिषद् या जिला परिषद् के किसी अधिकारी या सेवक अथवा जिला परिषद् द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग में बाधा डालेगा तो वह जुर्माने से, जो पचास रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

50. परिषद् के साथ कोई संविदा करने के लिए शास्ति— यदि जिला परिषद् का कोई सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी परिषद् के साथ कोई संविदा करेगा तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 168 के अधीन अपराध किया है ।

अध्याय 8

नियम और उपविधियां

51. प्रशासक की नियम बनाने को शक्ति— (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन नियम बनाने की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रशासक इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम,—

(i) जिला परिषद् के कामकाज के संचालन को विनियमित कर सकेंगे;

(ii) उन प्ररूपों को जिनमें बजट का प्राक्कलन तैयार किया जाना है और उसके पूरा करने के विभिन्न प्रक्रमों की तारीखें विहित कर सकेंगे;

(iii) वह भाषा अवधारित कर सकेंगे जिसमें जिला परिषद् के कामकाज का संचालन किया जाएगा;

(iv) सम्पत्ति अन्तरण करने की जिला परिषद् की शक्तियों को विनियमित कर सकेंगे;

(v) जिला परिषद् की संविदा करने तथा उसके गठन के प्रयोजन के लिए आवश्यक अन्य बातों को करने की शक्ति और संविदाएं निष्पादित करने की प्रक्रिया को विनियमित कर सकेंगे;

(vi) जिला परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के नियोजन, संदाय, निलम्बन और हटाने को विनियमित कर सकेंगे;

(vii) जिला परिषद् को अन्तरित सरकारी सेवकों की सेवाओं की शर्तों और निबन्धनों को संरक्षित कर सकेंगे;

(viii) जिला परिषद् की विवरणों, रजिस्टरों, प्राक्कलनों और लेखों के प्ररूप विहित कर सकेंगे तथा ऐसे लेखाओं का रखना, जांच पड़ताल और प्रकाशन विनियमित कर सकेंगे;

(ix) वह प्राधिकारी जिससे और वह रीति जिसमें जिला परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा की जाएगी, विहित कर सकेंगे; तथा

(x) किसी अन्य विषय के लिए, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन नियम बनाए जाने है, उपबन्ध कर सकेंगे ।

52. उपविधियां बनाने की शक्ति— (1) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जिला परिषद्, उस स्वायत्त जिले में, जिसके लिए वह गठित की गई है या उसके किसी भाग में, निम्नलिखित विषयों के या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध करने के लिए उपविधियां बना सकेगी, अर्थातः—

(क) विद्यालयों का अनुरक्षण और प्रबन्ध तथा वृत्तिकाओं और छात्रवृत्तियों की मंजूरी;

(ख) औषधालयों का नियंत्रण और प्रशासन, उनका सन्निर्माण और मरम्मत, औषधियों का प्रदाय और रोग फैले होने के दौरान किए जाने वाले अध्युपाय;

(ग) पेय या पाक-साला सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए पृथक् रखे गए जलाशयों जलस्त्रोतों, कुओं या नदियों के भागों, जलधाराओं, जलसरणियों या जलप्रवाहों का प्रदूषण से बचाव;

(घ) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी या किसी उपबन्ध को कार्यन्वित करने के लिए आवश्यक हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई उपविधि का तब तक प्रभाव नहीं होगा जब तक उसकी पुष्टि प्रशासक द्वारा न हो गई हो और वह ऐसी रीति से, जैसी प्रशासक निर्दिष्ट करे, प्रकाशित न हो गई हो ।

(3) किसी उपविधि की पुष्टि करते समय प्रशासक उसमें ऐसे परिवर्तन कर सकेगा जो उसे आवश्यक प्रतीत हों ।

53. नियमों और उपविधियों के भंग के लिए शास्ति— (1) किसी नियम के बनाते समय प्रशासक, और किसी उपविधि के बनाते समय जिला परिषद्, निदेश दे सकेगी कि उस नियम या उपविधि का भंग जुर्माने से, जो सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और चालू रहने वाले भंग की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे भंग के लिए अपराधी की दोषसिद्ध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान भंग चालू रहता है दस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(2) किसी जुर्माने के संदाय के व्यतिक्रम में, व्यतिक्रमी कारावास से, जिसकी अवधि पन्द्रह दिन तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा ।